"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011—चैत्र 4, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री टोप्पो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

2. श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री अंकित आनंद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर केवल प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007) अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवनं, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2011

क्रमांक एफ 10-28/2010/16.—जबकि छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-10-2010 द्वारा राज्य शासन ने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से एवं केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्गों तक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के प्रावधानों को उस अधिसूचना के एक माह पश्चात् विस्तार के आशय की सूचना दी है.

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 12-11-2010 को उपलब्ध करा दी गई है.

और जबकि अधिसूचना के संबंध में उक्त एक माह की अवधि में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं.

अब इसलिये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श एवं केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को उन स्थापनाओं की श्रेणियों तक जो स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं, विस्तार करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

स्थापनाओं का वर्णन (1)	ऐसे क्षेत्र जिसमें स्थापनायें स्थित हैं (2)
निम्नलिखित स्थापनाएं जिस पर दस या अधिक व्यक्ति नियोजित है अथवा पिछले 12 माह में किसी दिन नियोजित थे, जैसे— 1. दूकान; 2. भोजनालय; 3. जलपान गृह; 4. सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं; 5. सिनेमा घर पूर्व दर्शन रंगशाला सहित; 6. श्रम जीवि पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1955 (1955 का 45) की धारा की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित समाचार पत्र स्थापनाएं; 7. शैक्षणिक संस्थाएं (लोक, निजी, अनुदान प्राप्त अथवा आंशिक अनुदान प्राप्त) जिनका संचालन व्यक्तियों न्यासियों, समितियों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है.	ऐसे समस्त क्षेत्रों जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधान, अधिनियम की धारा 1 (3) के अन्तर्गत पहले से प्रवृत्त किये जा चुके हैं.

No. F 10-28/2010/16.—Whereas by a notification of the Government of Chhattisgarh, deptt. of labour even number dated 22-10-2010 the State Government, in consultation with the employees' State Insurance Corporation and with the approval of Central Government, gave notice of its intention to extend the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) to certain classes of establishments specified in the Schedule to the said notification after one month from the date of that notification.

And whereas the copies of said notification were available to the public on 12-11-2010.

And whereas, no objections and suggestions have been received within the said period of one month in respect of said notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the State Government of Chhattisgarh in consultation with the employees' State Insurance Corporation and with the approval of Central Government, hereby extends the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in Column (1) and situated within the areas sepcified in column (2) of the Schedule in the State of Chhattisgarh, namely :—

SCHEDULE

Descriptions of establishments (1)	Areas in which the establishments are situated (2)
The following establishments whereon ten or more persons are employed, or were employed on any day of the preceding twelve months, namely — 1. Shops; 2. Hotels; 3. Restaurants; 4. Road Motor Transport establishments; 5. Cinemas including preview theatres; 6. Newspaper establishments as defined in Section 2 (d) of the working Journalists (Condition of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955); 7. Educational Institutions (Including public, private, aided or partially aided) run by individuals, trustees, societies or other organizations.	All areas where the provisions of the ESI Act, 1948, have already been brought into force under section 1 (3) of the Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्रमांक/एफ 1-125/वस/2001/10-2.—मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25/50/98/10-3 दिनांक 11 सितम्बर 1998 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल का आदेश क्रमांक/47 दिनांक 16-04-99 से जिला कोरिया के कोरिया वनमंडल

अंतर्गत गठित बैकुण्ठपुर दक्षिण उपवनमंडल तथा बैकुन्ठपुर उत्तर उपवनमंडल का पुनर्गठन राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार किया जाता है :—

अ. क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम (मुख्यालय)	उप वनमण्डल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल वर्ग. कि.मी..	सम्मिलित परिक्षेत्र एवं काष्ठागारों का नाम (मुख्यालय)	उप वनमण्डल की सीमाओं का विवरण	वनमण्डल की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सरगुजा	कोरिया	कोरिया (बैकुन्ठपुर)	1. बैकुन्ठपुर दक्षिण (बैकुन्ठपुर)	652.450	1. बैकुन्ठपुर (बैकुन्ठपुर)	उत्तर-बैकुन्ठपुर परिक्षेत्र की सीमा.	उत्तर-संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले की सीमा.
						2. खड़गवां (खड़गवां)	पूर्व-सरगुजा जिले की सीमा.	पूर्व- सरगुजा जिले की सीमा.
						3. चिरमिरी (चिरमिरी)	दक्षिण-कोरबा जिले की सीमा.	दक्षिण-कोरबा जिले की सीमा.
						4. उत्पादन इकाई क्र.-1 (बैकुण्ठपुर)	पश्चिम-बिलासपुर जिले एवं मनेन्द्रगढ़ वन मण्डल की सीमा.	पश्चिम-बिलासपुर जिले तथा मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल की सीमा.
				2. बैकुन्ठपुर उत्तर (बैकुन्ठपुर)	1125.772	1. सोनहत (सोनहत)	उत्तर-संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले की सीमा.	उत्तर-संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले की सीमा.
						2. देवगढ़ (सोनहत)	पूर्व-सरगुजा जिले की सीमा.	पूर्व- सरगुजा जिले की सीमा.
						3. कोटाडोल (कोटाडोल)	दक्षिण-बैकुन्ठपुर दक्षिण उप-वनमंडल मनेन्द्रगढ़ वनमंडल की सीमा.	दक्षिण-कोरबा जिले की सीमा.
						4. उत्पादन इकाई क्र.-2 (कोटाडोल)	पश्चिम-बिलासपुर जिले एवं मनेन्द्रगढ़ वन मण्डल की सीमा.	पश्चिम-बिलासपुर जिले तथा मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल की सीमा.
						5. उत्पादन इकाई क्र.-3 (सोनहत)		
				योग	**1778.222**			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/26/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प. ह. नं. 38	4.886	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	गेरानाला जलाशय योजना की एल.बी.सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/514/भू-अर्जन/02 अ/82 वर्ष 2009-2010.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	जैतपुरी	3.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धमतरी कोड नं. 90.	जैतपुरी व्यपवर्तन के नहर निर्माण.

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक/515/भू-अर्जन/01 अ/82 वर्ष 2009-2010.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	घुरावड	0.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, धमतरी कोड नं. 90.	जैतपुरी व्यपवर्तन के नहर निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्रमांक 02/अ-82/2010-2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	धरहर	5.70	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गुजरनाला जलाशय के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्रमांक 06/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भाड़म	7.45	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत आर.बी.सी. नहर निर्माण कार्य के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक/3680/अ.भू.अ.प्र./प्र-1/अ-82/वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	भेडरवानी प. ह. नं. 18	0.19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा संभाग बेमेतरा.	सोमईकला बेंदरची चिल्फी मार्ग में भूमि अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक/3679/अ.भू.अ.प्र./प्र-2/अ-82/वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	भेड़नी प. ह. नं. 10	0.41	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) संभाग बेमेतरा.	भेड़नी सल्धा मार्ग में भू-अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक/3682/अ.भू.अ.प्र./प्र-6/अ-82/वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	पेंड्रावन प. ह. नं. 29	1.19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बेमेतरा संभाग बेमेतरा.	नौकेशा से गाडाडीह मार्ग में भूमि अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्रमांक 3681/प्र-1/अ.वि.अ./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	चिल्फी प. ह. नं. 18	0.13	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बेमेतरा संभाग बेमेतरा.	साजा चिल्फी बेंदरची मार्ग में भूमि अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 64/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुकुर्दा प. ह. नं. 21	59.117	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 65/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	डुमरपाली प. ह. नं. 20	29.040	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 66/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	साल्हेओना प. ह. नं. 20	18.472	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 67/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	छुहीपाली प. ह. नं. 21	23.070	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 68/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	नवापारा प. ह. नं. 21	75.423	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक 954/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 12 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137/16	2884	1.87	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के विकास कार्य आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हेतु.
			2889	2.23		
			2890	2.19		
			2894/1	2.00		
			2894/2	1.92		
			2895/3279	0.61		
			2896/3286	0.35		
		योग	7	11.17		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक 955/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 02 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प. ह. नं. 21	1499	0.39	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के विकास कार्य हेतु इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के लिए निर्माण कार्य हेतु.
			1501	0.44		
			1505	0.45		
			1506	0.18		
			1507	0.48		
			1508	0.34		
			1509	4.10		
			1511	0.11		
			1512/1	0.36		
		योग	09	6.85		

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक 956/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 1 अ/82 वर्ष 2009-10—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प. ह. नं. 72/15	4	0.02	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना (रोड क्रमांक 8) हेतु.
			10	0.24		
			14	0.12		
			59	0.03		
			5	0.03		
			48	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			49	0.25		
			61	0.16		
			11	0.10		
			16	0.10		
			57	0.11		
			12	0.15		
			56	0.26		
			15	0.60		
			17	0.03		
			21/1	0.04		
			19	0.50		
			51	0.18		
			52	0.15		
			62	0.18		
			58	0.11		
			68	0.01		
			69	0.02		
			70	0.03		
			21/2	0.04		
		योग	**25**	**3.50**		

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक 957/कं/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 05 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प.ह. नं. 68/21	475	1.26	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब एरिया आर्मी हेडक्वाटर निर्माण हेतु.
			476	1.23		
			477	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			484	0.08		
			490	0.13		
			493	0.38		
			519	0.23		
			520	0.21		
			525	0.25		
			526	0.25		
			527	0.35		
			528	0.32		
		योग	12	4.72		

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक 958/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 07 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	पौता प. ह. नं. 22	675	0.85	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के विकास कार्य हेतु.
		योग	1	0.85		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक 959/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 03 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प. ह. नं. 69/18	1731	0.37	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी विकास कार्य हेतु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निर्माण कार्य हेतु.
			1766	0.30		
			1769	1.02		
		योग	03	1.69		

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक 960/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 04 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प. ह. नं. 69/18	1464	0.38	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर विकास कार्य हेतु बी.एस.एस. हेड-क्वाटर निर्माण के लिए.
			1475	0.73		
			1477	1.06		
			1483	0.28		
			1490	0.08		
			1493	1.77		
		योग	6	4.30		

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2011

क्रमांक 975/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	सेंध प. ह. नं. 68/21	138	1.69	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना अंतर्गत बी.एस.एफ. मुख्यालय निर्माण हेतु.
			148	0.37		
			151	0.21		
			146	0.34		
		योग	**04**	**2.61**		

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2011

क्रमांक 976/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 11 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137/16	852/1	0.22	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नई राजधानी के विकास कार्य हास्पिटल हेतु.
			856	0.16		
		योग	**02**	**0.38**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./5/अ-82/ वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूण्डा प. ह. नं. 118/51	3/12	0.190	मुख्य कार्यपालन, अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	नगर विकास योजना क्र.-4 (कमल विहार) योजना के अंतर्गत भू-अर्जन.
			4/37	0.505		
			4/63	0.218		
			4/6	0.187		
			4/15	0.162		
			6/36	0.025		
			4/28	0.433		
			4/38	0.064		
			4/55	0.178		
			4/57	0.591		
			45/8	0.040		
			46/9	0.207		
			46/2	0.255		
			46/3, 46/7	0.198		
			46/4	0.227		
			48/6	0.041		
			56/8, 66/50	0.591		
			6/10	0.243		
			113/2	0.283		
			17	0.022		
			96/6	0.019		
			96/11	0.014		
			96/12	0.014		
			98/9	0.740		
			110/1	0.007		
			110/3	0.036		
			110/5, 112/7	0.028		
			110/11	0.014		
			110/15	0.014		
			111/3	0.032		
			111/4	0.018		
			111/5	0.007		
			111/8	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			111/9	0.010		
			111/10	0.021		
			111/11	0.011		
			111/12	0.010		
			111/13	0.018		
			112/11	0.014		
			113/1	0.198		
			115/8	0.014		
			115/10	0.014		
			115/16	0.028		
			115/17	0.014		
			116/3	0.014		
			116/4	0.014		
			116/19	0.014		
			116/22	0.014		
			116/36, 37, 38	0.063		
			116/41	0.014		
			119/18, 119/19, 119/3	0.125		
			00117/8	0.028		
			00117/21	0.014		
			00117/22	0.014		
			00118/1	0.162		
			00118/2	0.364		
			00118/3	0.362		
			00118/14	0.184		
			00019/18	0.025		
			00019/17	0.025		
			00139/2	0.088		
			00139/3	0.086		
			00143/1	0.360		
			00143/4	0.053		
			00143/5	0.174		
			00118/5	0.185		
			00118/9	0.008		
			00119/7	0.028		
			00120/2	0.045		
			00120/9	0.014		
			00122/8	0.020		
			00137/1	0.064		
			00142/4	0.032		
			00147/2	0.206		
			00122/2	0.129		
			00137/2	0.043		
			00137/4	0.180		
			141/5	0.050		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			00141/1	0.838		
			00141/3	0.356		
			00141/4	0.121		
			00143/3	0.316		
			00141/2	0.096		
			00142/1, 142/2	0.052		
			00142/3	0.032		
			00142/10	0.017		
			00142/15	0.017		
			00144/1	0.619		
			00144/4	0.045		
			00144/2	0.388		
			00144/3	0.422		
			00144/7	0.417		
			00144/8	0.213		
			00144/13	0.060		
			00144/17	0.037		
			00144/19	0.009		
			00144/31	0.009		
			00144/32	0.018		
			00144/33	0.018		
			00144/39	0.009		
			00144/40	0.009		
			00147/4	0.017		
			00147/5	0.017		
			00147/8	0.033		
			00147/9	0.017		
			00147/11	0.017		
			00145/2	0.022		
			00145/4	0.015		
			00145/26	0.035		
			00145/31	0.017		
			00145/32	0.016		
			00145/44	0.004		
			3/1, 6/32	0.304		
			4/1	0.133		
			4/14, 4/19	0.037		
			6/62	0.063		
			6/23	0.165		
			6/31	0.202		
			6/48	0.145		
			12/1	0.316		
			00017/1	0.085		
			6/6, 98/5	0.531		
			96/4	0.037		
			9	0.117		
			10	0.077		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			11	0.555		
			00015/1	0.227		
			96/5	0.134		
			6/18	0.049		
			6/21	0.247		
			00019/1	0.247		
			26/4	0.670		
			90/2	0.271		
			90/3	0.694		
			90/7	0.404		
			90/18	0.049		
			90/19	0.044		
			6/28	0.283		
			6/40	0.178		
			6/38	0.166		
			6/43	0.065		
			6/55, 12/4	0.014		
			6/56, 12/5	0.014		
			6/57, 12/6	0.014		
			00037/22	0.046		
			00019/2	0.067		
			00019/14	0.212		
			00019/3	0.005		
			00019/5	0.006		
			00019/10	0.049		
			00094/11	0.046		
			00020/1	0.006		
			00020/3	0.048		
			00025/2	0.006		
			00092/3	0.008		
			00024/3	0.007		
			00024/5	0.219		
			00024/19	0.014		
			00025/24	0.012		
			00025/11	0.014		
			00025/13	0.023		
			00025/14	0.023		
			00025/32	0.020		
			00026/3	0.011		
			00026/23	0.013		
			00027/15	0.016		
			00027/18	0.016		
			00027/19	0.016		
			00027/20	0.016		
			00027/23	0.013		
			28/1, 29/1	0.011		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			00028/2	0.014		
			00028/3	0.014		
			00028/4	0.014		
			00028/6	0.014		
			00028/9, 29/4	0.014		
			00028/10, 29/6	0.014		
			00028/11, 29/7	0.014		
			00028/13, 29/9	0.014		
			00028/17, 29/13	0.014		
			00028/22, 29/18	0.014		
			00028/23, 29/19	0.010		
			00028/24, 29/20	0.010		
			00038/3	0.129		
			00036/2	0.291		
			00037/1	0.106		
			00037/10	0.014		
			00037/24	0.043		
			00037/25	0.046		
			40/4	0.405		
			40/5	0.162		
			41/4	0.198		
			44/1-2	0.405		
			44/4	0.405		
			45/2	0.191		
			51/1	0.370		
			53/1, 53/2	1.756		
			54/3	0.320		
			55/2	0.114		
			66/20	0.405		
			66/7	0.405		
			283/1	0.158		
			66/15	0.146		
			66/22	0.008		
			66/23	0.134		
			66/30	0.003		
			66/31	0.825		
			90/5-6	0.154		
			00090/8	0.028		
			00090/43	0.013		
			00090/57	0.066		
			00090/10	0.100		
			00090/12	0.290		
			00090/11	0.164		
			00090/21	0.092		
			00090/23	0.090		
			00090/44	0.028		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			00090/49	0.009		
			00090/51	0.009		
			00091/7	0.075		
			00091/9	0.202		
			00092/4	0.014		
			00092/5	0.014		
			00092/8	0.014		
			00092/9	0.014		
			00092/12	0.014		
			00092/13	0.014		
			00092/14	0.028		
			00092/21	0.014		
			00092/25	0.028		
			00092/26	0.028		
			00092/27	0.011		
			00092/30	0.011		
			00092/31	0.011		
			00092/33	0.011		
			00092/34	0.011		
			00092/36	0.011		
			00092/39	0.011		
			00092/49	0.028		
			94/22	0.023		
			94/23	0.023		
			00095/16	0.003		
			00095/4	0.035		
			00095/5	0.048		
			00095/6	0.016		
			00095/14	0.046		
			00103/8	0.027		
			00103/12	0.028		
			00103/17	0.019		
			00103/18	0.014		
			103/19	0.009		
			00103/24, 103/25	0.028		
			00103/26	0.014		
			00104/1	0.106		
			00105/1, 107/1, 108/1	0.007		
			105/5, 107/5, 108/5	0.007		
			00124/1	0.010		
			00124/29	0.042		
			00105/11, 107/11, 108/11	0.014		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			00105/9, 107/9, 108/9	0.014		
			00105/24, 107/24, 108/24	0.028		
			00106/3	0.014		
			00106/6	0.014		
			00122/1, 122/4, 123/1, 123/3	0.029 2		
			00122/3	0.068		
			00122/17/1, 122/18/1	0.020		
			00124/4	0.094		
			00124/22	0.014		
			00124/25	0.014		
			125/4, 92/1, 92/3	0.020		
			125/4, 92/1, 92/3	0.022		
			125/4, 92/1, 92/3	0.014		
			125/4, 92/1, 92/3	0.028		
			125/4, 92/1, 92/3	0.011		
			125/4, 92/1, 92/3	0.028		
			125/4, 92/1, 92/3	0.011		
			125/4	0.011		
			00125/6	0.022		
			00122/6	0.020		
			00132/1	0.142		
			00123/2, 131/1, 131/4	1 0.117		
			129	0.202		
			130	0.198		
			00126/2	0.194		
			00131/1, 131/2	0.089		
			00156/1, 156/2	0.041		
			00156/3, 1[illegible]/4	0.081		
			00126/4	0.024		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			00126/9	0.014		
			00127/2	0.138		
			136	0.117		
			00127/6, 127/7	0.011		
			00127/12, 127/13	0.022		
			00127/18, 127/19	0.004		
			00151/1	0.044		
			00158/2	0.052		
			00128/1/6, 128/2/6	0.014		
			00128/1/9, 128/2/9	0.028		
			00130/20/क	0.028		
			00132/3	0.014		
			00135/3	0.022		
			00135/5	0.022		
			00135/6	0.028		
			00137/4	0.180		
			00139/5	0.018		
			00150/5	0.181		
			00150/1, 150/2, 150/3, 150/4	0.006		
			00152/1/2, 155/3/2, 155/8/2, 155/34/2	0.101		
			00152/1/3, 155/3/3, 155/8/3, 155/34/3	0.014		
			152/1, 155/3, 155/8, 155/34 4	0.014		
			00152/1/11, 155/3/11, 155/8/11, 155/34/11	0.073		
			00153/1, 155/5, 155/7, 155/9	0.023		
			00154/2	0.013		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			00154/6	0.044		
			00154/9	0.009		
			00154/11	0.028		
			00155/6	0.019		
			00155/8, 155/34 2	0.014		
			00155/8, 155/34 3	0.014		
			00155/10	0.009		
			00155/11	0.087		
			00155/12	0.013		
			00155/14	0.018		
			00155/15	0.018		
			00155/16	0.014		
			00155/17	0.009		
			00155/18	0.014		
			00155/21	0.014		
			00155/32	0.028		
			00155/33	0.028		
			00155/36	0.107		
			00155/38	0.033		
			00155/39	0.033		
			00155/46	0.042		
			00155/49	0.028		
			00155/54	0.014		
			00156/5	0.070		
			00157/5	0.014		
			00157/24	0.014		
			00157/25	0.027		
			00158/3	0.049		
			00159/1	0.021		
			00159/18	0.011		
			00160/2	0.196		
			00151/6, 152/4 1	0.007		
			00162/2, 162/5	0.012		
			00162/11	0.018		
			00164/1	0.447		
			00164/3	0.048		
			00164/4	0.046		
			00165/2	0.027		
			00165/40	0.012		
			00165/41	0.011		
			00165/42	0.011		
			00165/44	0.011		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			00165/62	0.011		
			00165/65	0.008		
			00165/67	0.009		
			00165/66	0.007		
			00165/68	0.011		
			00165/74	0.014		
			00165/88	0.011		
			00166/3	0.465		
			00151/2, 151/3, 151/4	0.065		
			00151/7, 151/8	0.022		
			00151/22	0.089		
			00151/10	0.011		
			00151/11	0.014		
			00151/12	0.011		
			00151/19	0.248		
			00151/20, 151/21	0.130		
			00151/24	0.019		
			00151/25	0.018		
			66/70	0.086		
			00135/1	0.004		
			65/19	0.004		
			65/19	0.005		
			65/23	0.028		
			65/26	0.002		
			65/32	0.004		
			66/10-1	0.014		
			66/41	0.433		
			66/45	0.121		
			66/58	0.011		
			66/59	0.037		
			66/62	0.036		
			66/63, 66/64, 86/5	0.045		
			66/65, 66/66, 86/6	0.044		
			66/69	0.291		
			66/80	0.019		
			66/82	0.014		
			66/86, 97, 98	0.018		
			66/87 क	0.009		
			66/95	0.017		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			66/101 ख	0.014		
			66/107	0.009		
			66/108	0.007		
			66/109 क	0.008		
			66/110	0.019		
			66/112	0.014		
			66/116	0.014		
			66/118, 119	0.023		
			66/144	0.014		
			66/155	0.014		
			66/162	0.006		
			66/164	0.014		
			66/167	0.014		
			66/177	0.014		
			66/226	0.009		
			66/186	0.007		
			66/188	0.007		
			66/249	0.009		
			66/252	0.011		
			78/2	0.080		
			68/22, 69/21	0.012		
			72, 73	0.251		
			292/4	0.090		
			293/1	0.145		
			295/1	0.257		
			297/1	0.271		
			299/3	0.008		
			304/1	0.182		
			00173/11	0.069		
			00142/1, 142/2	0.052		
			00475/4	0.105		
			00495/4	0.134		
			00478/7	0.190		
			00163/3	0.457		
			00168/15, 173/21	0.014		
			00169/5	0.018		
			00169/10	0.031		
			00169/27	0.016		
			00169/28	0.015		
			00169/37	0.014		
			00169/38	0.014		
			00169/44	0.014		
			00169/45	0.014		
			00169/46	0.014		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			00171/1	0.246		
			00171/3	0.134		
			174/1	0.028		
			174/2	0.028		
			197	0.047		
			00200/3	0.032		
			00208/2	0.250		
			00475/1	0.421		
			212/3	0.037		
			00214/1	0.038		
			00214/11	0.074		
			00214/21	0.037		
			00215/4	0.037		
			254	0.470		
			00475/3	0.420		
			00475/6	0.105		
			00478/6	0.215		
			00475/17	0.028		
			00476/1	0.287		
			00478/3	0.174		
			485/7	0.089		
			00489/1	0.593		
			00486/2	0.012		
			00486/8	0.024		
			00497/3	0.131		
			00497/7	0.132		
			00252/2	0.101		
			00515/1	0.174		
			00515/2	0.121		
			00515/3	0.121		
			00556/1	0.154		
			00556/2	0.089		
			00556/3	0.109		
			00561/4	0.061		
			00564/3	0.121		
			571	0.356		
			00572/2	0.405		
			573	0.194		
			506	0.453		
			00507/6	0.205		
			00507/5	0.204		
			00514/1	0.660		
			00514/2	0.022		
			00514/3	0.022		
			00516/3	0.161		
			00520/2	0.545		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			00520/4	0.202		
			519/2/क	0.214		
			00520/3	0.545		
			00521/2	0.485		
			00521/5	0.122		
			00552/1	0.174		
			00561/7	0.227		
			00561/1	0.400		
			00561/2	0.121		
			00563/1	0.202		
			00563/3, 564/4	0.218		
			00564/8	0.304		
			66/132	0.014		
			66/150	0.014		
			66/154	0.006		
			66/179	0.020		
			66/178	0.014		
			66/180	0.009		
			66/200	0.008		
			66/220	0.008		
			66/246	0.009		
			66/261	0.014		
			66/262	0.020		
		योग	1220	51.567		

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./6/अ-82/ वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	टिकरापारा प. ह. नं. 114	563/1	0.138	मुख्य कार्यपालन, अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	नगर विकास योजना क्र.-4 (कमल विहार) योजना के अंतर्गत भू-अर्जन.
			563/4	0.227		
			563/16	0.405		
			564/1	0.14		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			564/72	0.219		
			565/2	0.433		
			565/9	0.202		
			565/11	0.81		
			567/1	0.203		
			568/2	0.295		
			568/3	0.259		
			568/5	0.316		
			568/1	0.109		
			568/4	0.202		
			571/1	1.307		
			572/1	0.026		
			572/2	0.499		
			572/3	0.135		
			577/2	0.181		
			577/3	0.154		
			578/2	0.057		
			578/3	0.057		
			585/2	1.566		
			586	0.304		
			587/1	0.166		
			587/2	0.166		
			587/3	0.166		
			587/4	0.328		
			587/5	0.045		
			587/6	0.121		
			573/11	0.142		
			567/3	0.202		
			578/1	0.002		
			568/6	0.032		
			569	0.231		
			571/2	0.028		
			572/4	0.11		
			573/1	0.267		
			573/16	0.002		
			573/19	0.0111		
			573/20	0.046		
			573/22	0.059		
			573/23	0.022		
			573/28	0.08		
			578/4	0.006		
			578/6	0.037		
			580/6	0.0410		
			580/6	0.1821		
			580/7	0.1821		
			580/15	0.005		
			583/5	0.016		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			583/1	0.024		
			582/3	0.046		
			588	0.065		
			589/1	0.411		
			589/2	0.41		
			589/3	0.253		
			589/6	0.253		
			589/4, 589/5	0.405		
			665/3	0.031		
			665/4, 665/5	0.047		
			665/7	0.007		
			665/16	0.008		
			665/17	0.004		
			665/42	0.011		
			665/44	0.011		
			665/46	0.029		
			665/47	0.033		
			665/49	0.016		
			665/58	0.028		
			665/60	0.022		
			665/64	0.026		
			665/70	0.011		
			665/72	0.011		
			667/3	0.025		
			667/19	0.009		
			669/4	0.027		
			670/9	0.025		
			670/11	0.014		
			670/18	0.037		
			670/27	0.145		
			670/28	0.014		
			670/36	0.014		
			670/50	0.005		
			673/9	0.014		
			673/12	0.023		
			673/40	0.014		
			673/48	0.028		
			673/50	0.01		
			673/55	0.014		
			673/63	0.018		
			689/3	0.004		
			676/15	0.014		
			676/16	0.028		
			676/22	0.014		
			677/10	0.013		
			681	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			693/4	0.007		
			693/9	0.028		
			693/13	0.009		
			594/1*	0.524		
			594/2*	0.405		
			659/1	0.086		
			659/16	0.014		
			659/17	0.014		
			659/19	0.014		
			659/21	0.014		
			659/22	0.014		
			659/23	0.017		
			659/36	0.028		
			659/42	0.032		
			659/43	0.032		
			659/44	0.028		
			659/46	0.014		
			659/47	0.028		
			659/48	0.014		
			659/50	0.027		
			659/53	0.014		
			659/56, 57	0.04		
			659/77	0.121		
			659/61	0.14		
			659/62	0.014		
			659/71	0.014		
			659/73	0.014		
			659/81	0.01		
			664/1	0.202		
			664/3	0.445		
			664/12	0.013		
			664/22	0.052		
			664/32	0.046		
			694/1	0.163		
			694/9	0.0147		
			694/10	0.0169		
			694/12	0.0093		
			694/14	0.0093		
			694/21	0.021		
			694/22	0.009		
			694/24	0.014		
			694/30	0.009		
			695/14	0.014		
			695/15	0.014		
			696/13	0.056		
			696/19	0.033		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			696/24	0.019		
			697	0.413		
			682/3	0.008		
			682/4	1.012		
			686/1	0.741		
			688/1	0.031		
			688/2	0.031		
			689/1	0.06		
			678/1	0.004		
			710/1	0.012		
			692/11	0.202		
			692/12	0.138		
			692/15	0.089		
			692/16	0.142		
			692/17	0.202		
			692/18	0.202		
			692/19	0.028		
			692/3	0.263		
			692/4	0.182		
			692/6	0.097		
			692/7	0.085		
			692/8	0.081		
			692/9	0.081		
			692/24	0.014		
			692/27	0.027		
			692/28	0.205		
			698/1	0.004		
			699/1	0.004		
			700/1	0.006		
			700/1	0.0216		
			700/1	0.0108		
			700/34	0.009		
			700/1	0.0186		
			700/1	0.0093		
			700/1	0.0228		
			700/1	0.0093		
			700/19	0.014		
			700/10	0.021		
			700/1	0.0135		
			700/1	0.0186		
			700/1	0.0093		
			700/4	0.009		
			700/5	0.009		
			700/15	0.011		
			700/19	0.014		
			700/21	0.009		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			700/22	0.011		
			700/23	0.011		
			700/24	0.01		
			700/25	0.009		
			700/26	0.009		
			700/27	0.009		
			700/29	0.011		
			700/33	0.013		
			706/9	0.01		
			706/20	0.019		
			706/21	0.009		
			706/23	0.019		
			706/26	0.009		
			706/27	0.009		
			706/29	0.018		
			706/32	0.009		
			706/34	0.009		
			706/35	0.011		
			706/38	0.009		
			706/40	0.009		
			706/42	0.01		
			706/44	0.012		
			706/46	0.012		
			706/48	0.012		
			706/55	0.018		
			706/60	0.009		
			706/61	0.009		
			706/76	0.014		
			706/77	0.009		
			706/78	0.018		
			706/80	0.009		
			706/81	0.024		
			706/82	0.039		
			706/86	0.009		
			710/2	0.058		
			710/6	0.006		
			710/10	0.141		
			710/12	0.005		
			710/15	0.053		
			710/18	0.019		
			710/25	0.014		
			710/28	0.014		
			710/39	0.124		
			710/31	0.009		
			710/32	0.009		
			710/33	0.009		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			710/34	0.009		
			710/51	0.121		
			714/1	0.069		
			714/4	0.023		
			714/5	0.023		
			714/7	0.166		
			714/10	0.009		
			714/21	0.014		
			694/45	0.009		
			700/38	0.014		
			704/4, 711/11	0.571		
			704/5, 711/5	0.567		
		योग	365	23.7423		

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./07/अ-82/ वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	देवपुरी प. ह. नं. 114/52	330/5	0.068	मुख्य कार्यपालन, अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	नगर विकास योजना क्र.-4 (कमल विहार) योजना के अंतर्गत भू-अर्जन.
			330/12	0.018		
			330/7	0.0186		
			330/8	0.009		
			330/9	0.0093		
			330/11	0.037		
			330/13	0.01		
			330/15	0.018		
			330/12, 330/17, 330/23	0.196		
			332/9	0.014		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			332/15	0.028		
			332/16	0.028		
			332/16, 332/15	0.0334		
			333/27	0.054		
			332/28	0.014		
			333/1	0.002		
			333/15	0.028		
			333/22	0.014		
			333/26	0.027		
			334/2	0.008		
			334/5, 334/6	0.0279		
			334/5, 334/6	0.0283		
			334/8	0.014		
			334/9	0.014		
			334/10	0.014		
			334/17	0.014		
			334/18	0.014		
			334/20	0.014		
			334/21	0.014		
			334/25	0.014		
			334/40	0.014		
			334/43	0.014		
			334/44	0.014		
			334/45	0.041		
			334/46	0.014		
			334/47	0.014		
			334/50	0.014		
			334/48	0.014		
			334/51	0.028		
			334/53	0.014		
			334/54	0.027		
			335/1	0.148		
			335/8	0.014		
			335/9	0.014		
			336/4	0.009		
			338/1, 339/1	0.328		
			338/6	0.171		
			338/134	0.053		
			343/1	0.021		
			338/2, 338/5	0.351		
			338/3	0.008		
			338/4, 344/1	0.01		
			338/7, 339/2	0.069		
			338/8, 339/3	0.218		
			338/13, 339/4	0.263		
			338/14, 339/5	0.109		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			338/9-10	0.152		
			338/15	0.107		
			338/17	0.006		
			338/29	0.014		
			338/30	0.014		
			338/34	0.014		
			338/36	0.014		
			338/40	0.014		
			338/41	0.014		
			338/45	0.028		
			338/53	0.019		
			338/57	0.014		
			338/58	0.014		
			338/59	0.009		
			338/60	0.009		
			338/65	0.019		
			338/68	0.009		
			338/69	0.009		
			338/76	0.009		
			338/78	0.037		
			338/79	0.009		
			338/80	0.009		
			338/81	0.019		
			338/85	0.019		
			338/88	0.009		
			338/93	0.023		
			338/94	0.012		
			338/95	0.012		
			338/107	0.009		
			338/114	0.023		
			338/121	0.009		
			338/122	0.009		
			338/124	0.018		
			338/128	0.005		
			346/1	0.101		
			346/1	0.098		
			346/3	0.017		
			347/3	0.139		
			353/7	0.231		
			353/8	0.677		
			424/2	0.31		
			346/5	0.082		
			347/5	0.335		
			348/4	0.005		
			349/15	0.028		
			351/6	0.028		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			351/9	0.014		
			351/11	0.014		
			351/14	0.037		
			352/15	0.014		
			352/27	0.014		
			352/28	0.014		
			352/34	0.014		
			352/38	0.028		
			353/7	0.014		
			356/7	0.051		
			358/8	0.009		
			358/30	0.008		
			365/14, 366/22	0.014		
			366/5	0.014		
			366/7	0.014		
			366/10	0.014		
			366/11	0.014		
			366/12	0.014		
			367/5	0.014		
			367/6	0.027		
			367/9	0.014		
			367/10	0.014		
			367/13	0.014		
			367/15	0.014		
			367/16	0.066		
			367/17	0.037		
			[illegible]	0.031		
			[illegible]	0.029		
			370/6	0.031		
			370/7	0.012		
			371/3	0.3		
			371/4	0.022		
			371/10	0.044		
			371/22	0.022		
			371/25	0.021		
			371/26, 370/20	0.022		
			372/2	0.152		
			375/3	0.022		
			375/4	0.022		
			375/8	0.022		
			375/9	0.022		
			375/10	0.022		
			375/16	0.022		
			382/6, 383/7	0.044		
			382/18, 383/22	0.044		
			382/23, 383/28	0.022		
			383/2	0.039		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			384/2	0.018		
			384/10	0.022		
			437/3	0.05		
			385/2	0.022		
			385/3	0.022		
			385/4	0.026		
			386/5	0.022		
			387/4	0.016		
			387/6	0.082		
			387/12	0.022		
			222/4	0.019		
			222/7	0.014		
			222/13	0.05		
			223/1	0.132		
			223/5	0.028		
			223/6	0.014		
			223/7	0.033		
			223/9	0.014		
			223/10	0.014		
			223/14	0.014		
			223/15	0.014		
			223/16	0.014		
			224/2	0.028		
			225/2	0.34		
			225/4	0.044		
			225/5	0.014		
			225/6	0.014		
			225/7	0.014		
			225/8	0.014		
			225/9	0.028		
			225/11	0.014		
			225/12	0.014		
			225/22	0.14		
			225/14	0.014		
			225/23	0.011		
			225/24	0.013		
			225/28	0.014		
			226/1, 226/4	0.409		
			226/3	0.081		
			228/4	0.138		
			228/4	0.0697		
			230/2	0.014		
			230/3	0.014		
			230/4	0.021		
			231/1	0.025		
			231/2	0.012		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			231/3	0.026		
			231/4	0.045		
			231/7	0.013		
			231/8	0.145		
			231/10	0.014		
			231/11	0.014		
			231/12	0.014		
			231/13	0.014		
			231/15	0.014		
			231/16	0.014		
			231/19	0.033		
			231/20	0.014		
			231/22	0.024		
			231/28	0.069		
			231/25	0.028		
			231/30	0.014		
			389/4	0.077		
			390/1	0.057		
			439/1	0.002		
			439/11	0.028		
			439/15	0.014		
			439/21	0.013		
			439/32	0.015		
			439/34	0.015		
			439/39	0.014		
			439/41	0.014		
			439/43	0.014		
			439/44	0.014		
			439/45	0.014		
			439/46	0.014		
			439/47	0.014		
			439/55	0.014		
			439/56	0.014		
			439/58	0.014		
			439/59	0.014		
			439/60	0.014		
			439/62	0.014		
			439/63	0.015		
			439/64	0.014		
			439/67	0.014		
			439/69	0.015		
			439/80	0.014		
			439/107	0.014		
			439/113	0.007		
			439/114	0.057		
			448/35	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			448/6	0.004		
			448/7	0.034		
			448/10	0.046		
			448/12	0.001		
			448/23	0.012		
			454/2	0.069		
			454/19	0.014		
			454/8	0.014		
			454/10	0.014		
			454/11	0.014		
			454/13	0.014		
			454/14	0.014		
			454/17	0.014		
			454/18	0.014		
			458/1	0.078		
			465	0.056		
			468/7	0.044		
			468/12	0.014		
			469/2, 470/2	0.0541		
			469/2, 470/2	0.0223		
			469/2, 470/2	0.014		
			469/2, 470/2	0.0223		
			469/2, 470/2	0.0223		
			469/2, 470/2	0.0223		
			469/7	0.011		
			470/2	0.012		
			470/4	0.022		
			470/7	0.022		
			470/6	0.108		
			470/9	0.022		
			470/14	0.014		
			472/2	0.032		
			472/27	0.01		
			369/1	0.089		
			373	0.267		
			374/1	0.176		
			393	0.15		
			394/1	0.444		
			401/11	0.202		
			421/2	0.202		
			484/5	0.04		
			485/4	0.068		
			490/1	0.121		
			491	0.142		
			391/4	0.05		
			397, 311/1	0.0279		
			397, 311/1	0.014		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			400/1, 400/3	0.081		
			401/1	0.202		
			410/1	0.251		
			401/3, 426/1	0.284		
			401/10	0.16		
			401/12, 404/10	0.029		
			401/26, 418/17	0.036		
			401/28, 418/19	0.036		
			401/31	0.089		
			401/32	0.087		
			401/40	0.089		
			401/41, 426/3	0.152		
			425/4, 427/4, 435/4	0.162		
			404/1	0.255		
			404/7	0.202		
			412/2	0.134		
			405/4	0.05		
			406/1	0.004		
			406/3	0.078		
			406/5	0.038		
			415/7, 416/28	0.014		
			416/8	0.027		
			416/12	0.027		
			418/2	0.02		
			420/4	0.291		
			420/3	0.004		
			421/4	0.085		
			426/2	0.291		
			434/4	0.091		
			434/5	0.091		
			485/3	0.063		
			463/1-2-4, 464/1-2-3, 464/6-7	0.582		
			488/8	0.101		
			489/1	0.183		
			465/1	0.112		
			465/9	0.014		
			465/11	0.014		
			465/4	0.202		
			465/2	0.014		
			465/10	0.014		
			465/8	0.014		
			465/14	0.014		
			465/19	0.014		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			465/20	0.014		
			465/21	0.014		
			465/23	0.014		
			465/24	0.014		
			465/25	0.014		
			465/27	0.014		
			465/28	0.014		
			465/29	0.028		
			465/30	0.014		
			465/31	0.014		
			465/32	0.014		
			465/33	0.014		
			465/41	0.014		
			465/42	0.028		
			465/43	0.014		
			479/1	0.008		
			467/2	0.022		
			467/3	0.027		
			467/4	0.027		
			472/3	0.004		
			472/9	0.022		
			472/16	0.022		
			472/18	0.022		
			472/19	0.022		
			472/22	0.014		
			473, 471/8	0.0223		
			473, 477/8	0.0223		
			477/5	0.021		
			476/1, 476/3, 477/3	0.253		
			477/62	0.016		
			477/63	0.052		
			476/10, 477/81	0.055		
			478/5	0.014		
			478/8	0.092		
			477/10	0.002		
			477/13	0.022		
			477/20	0.028		
			477/24	0.015		
			477/25	0.014		
			477/31	0.014		
			477/32	0.014		
			477/44	0.022		
			477/51	0.059		
			477/51	0.0585		
			477/52	0.004		
			477/52	0.0046		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			477/54	0.014		
			477/55	0.0511		
			477/79	0.046		
			477/87	0.064		
			478/3	0.001		
			478/5	0.146		
			479/7	0.061		
			479/8	0.044		
			318/4	4.047		
			320/1	0.032		
			209	0.014		
			209	0.0118		
			209/1	0.028		
			209/4	0.176		
			209/5	0.013		
			209/1	0.0465		
			210/1	0.214		
			210/2	0.299		
			210/3	0.113		
			210/9	0.114		
			210/10	0.113		
			335/13	0.014		
			346/2	0.045		
			346/3	0.045		
			346/4	0.44		
		योग	**698**	**25.2585**		

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./8/अ-82/ वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बोरियाखुर्द प. ह. नं. 118/51	196/1, 197/1, 202/1, 203/3, 204/1,	3 0.014	मुख्य कार्यपालन, अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	नगर विकास योजना क्र.-4 (कमल विहार) योजना के अंतर्गत भू-अर्जन.

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			196/1, 197/1, 202/1, 203/3, 204/1	4	0.014		
			196/1, 197/1, 202/1, 203/3, 204/1	10	0.028		
			196/1, 197/1, 202/1, 203/3, 204/1	11	0.014		
			196/1, 197/1, 202/1, 203/3, 204/1		0.014		
			196/1, 197/1, 202/1, 203/3, 204/1		0.014		
			196/1, 197/1, 202/1, 203/3, 204/1		0.0279		
			197/1, 202/1, 203/3, 204/1, 196/1		0.014		
			197/1, 202/1, 203/3, 204/1, 196/1		0.014		
			197/1, 202/1, 203/3, 204/1, 196/1		0.0186		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			197/1, 202/1, 203/3. 204/1, 196/1	0.014		
			197/1, 202/1, 203/3, 204/1, 196/1	0.0142		
			197/1, 202/1, 203/3, 204/1, 196/1	0.014		
			197/1, 202/1, 203/3, 204/1 196/1	0.014		
			196/1, 197/1, 202/1, 203/3, 204/1	0.014		
			197/1, 202/1, 203/3, 204/1, 196/1	0.014		
			196/1, 197/1, 202/1, 203/3, 204/1	0.014		
			203/3	0		
			209/2	0.223		
			211/2	0.182		
			226/3	0		
			226/8	0.057		
			227/1	0.038		
			227/2	0		
			227/3	0.038		
			227/8, 228/7	0.162		
			228/3	0.142		
			233/4	0.282		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			228/7	0		
			229/2	0		
			229/4	0		
			232/2	0		
			233/1	0.027		
			233/4	0		
			234/1	0.405		
			234/2	0.069		
			235/1	0		
			241/6	0.405		
			241/22	0.014		
			241/23	0.022		
			241/26	0.061		
			241/30	0.014		
			241/31	0.022		
			241/32	0.014		
			241/34	0.011		
			236/1	0.02		
			257/2, 258/4	0.311		
			258/2	0		
			258/4	0		
			258/5	0		
			258/6	0		
			191/12	0		
			191/15, 192/5	0.014		
			191/15, 192/5	0.0108		
			191/15, 192/5	0.0111		
			191/15, 192/5	0.014		
			191/15, 192/5	0.0111		
			191/15, 192/5	0.0111		
			191/15, 192/5	0.0223		
			191/15, 192/5	0.0056		
			191/15, 192/5	0.0186		
			191/15, 192/5	0.0158		
			191/15, 192/5	0.014		
			191/15, 192/5	0.014		
			191/15, 192/5	0.0074		
			191/16	0.0279		
			191/16	0.186		
			191/16	0.0223		
			191/85	0.0186		
			191/84	0.0111		
			191/16	0.186		
			191/16	0.0111		
			192/2	0		
			192/3	0		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			192/5	0		
			215/2	0		
			216/1	0.017		
			216/2	0.022		
			217/1	0		
		योग	160	3.1378		

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./09/अ-82/ वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूमरतराई प. ह. नं. 115/52	342	0.235	मुख्य कार्यपालन, अधिकारी रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.	नगर विकास योजना क्र.-4 (कमल विहार) योजना के अंतर्गत भू-अर्जन.
			350/1	0.029		
			353/1	0.003		
			350/4	0.083		
			350/7	0.003		
			351/4	0.009		
			353/1	0.003		
			353/2	0.105		
			354/2	0.014		
			357/30	0.133		
			354/5	0.014		
			357/18	0.117		
			357/19, 357/27, 357/34	0.002		
			357/51	0.027		
			357/57	0.014		
			357/68	0.014		
			357/70	0.014		
			357/71	0.022		
			357/85	0.013		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			357/86	0.012		
			357/97	0.007		
			357/99	0.034		
			357/100	0.052		
			357/113	0.014		
			358/4	0.385		
			243/6, 246/9, 247/2	0.101		
			244	0.45		
			311/1	0.182		
			311/10	0.299		
			311/20	0.073		
			341/2	0.008		
			243/3	0.001		
			325/8	0.093		
			333/12, 335/12, 339/7	0.046		
			334/2*	0.121		
			334/5*	0.077		
			334/7*	0.077		
			334/10*	0.057		
			334/3*	0.024		
			336	0.178		
			334/4*	0.028		
			334/8*	0.085		
			337/2	0.073		
			335/3	0.13		
			335/8	0.101		
			337/2	0.073		
			337/4	0.004		
			339/2, 341/1	0.207		
			341/6	0.101		
			340-0.304, 341/5 0.101	0.405		
			341/10	0.101		
			341/9	0.101		
			341/11	0.101		
			341/12	0.0929		
			341/13	0.093		
			240/3	0.012		
			241/1	0.012		
			343/1	0.17		
			343/7	0.101		
			346/5, 346/14	0.28		
			346/20	0.028		
			347/3, 5, 6	0.23		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			347/4	0.068		
			343/6	0.03		
			347/10	0.102		
			347/11	0.17		
			347/12	0.009		
			347/1	0.128		
			308/13	0.408		
			308/14	0.809		
			308/16	0.053		
			308/17	0.053		
			308/19	0.255		
			308/18	0.15		
			308/24	0.409		
		योग	135	8.3179		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्रमांक/3250/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बीजापुर
- (ख) तहसील-भोपालपटनम
- (ग) नगर/ग्राम-गोल्लागुड़ा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	185/2	0.16
	187	0.26
	194/2	0.17
	194/3	0.15
योग	4	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रा. राजमार्ग क्रमांक 202 चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, सक्षम अधिकारी सह. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

चाम्पा, दिनांक 7 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक/226 A/प्र.-2/अ.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 604/A दिनांक 22-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	932	0.21
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	933	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	930	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	927	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	926/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	919/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	919/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	921	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	920/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	920/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	916/1	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	916/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	915/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	914	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	913	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	894	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	905/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	905/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	895/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	895/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	891	0.35
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	897	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	899/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	898	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	900	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1101/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1101/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1100/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1100/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1103	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1104	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1170/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1168/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1166	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1165	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1164	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1163/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1163/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1162/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1162/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1161/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1161/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1159	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1201	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1157/1, 1157/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1154	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/3	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1228	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1231	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1232/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1231/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1232/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1233/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1233/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1236/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1236/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1239	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1248	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1267/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1267/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2570/8	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2434/1 क	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2439	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2433/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2433/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2433/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2442	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2443/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2443/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2445/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2446/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2446/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2447/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2447/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2447/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2449/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2448	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2427	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2426	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2425	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2424	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2423	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2422/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2422/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2421/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2421/2	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2421/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1237/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1110/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1232/1	0.08
			योग	5.32

चाम्पा, दिनांक 7 मार्च 2011

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखें)

क्रमांक/227 A/प्र.-2/अ.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 606/A दिनांक 22-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1274/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1273	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1272, 1217/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1216	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1215	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1214	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1213/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1213/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1149/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1147/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1147/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1146/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1146/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1150/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1151/1, 1151/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1145	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1152	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	153/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	153/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	153/3	0.19
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	153/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	127/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	127/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	148/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	128/4	0.18
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	128/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	91/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	91/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	79	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	78	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	77	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	74	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	76/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	76/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	75	0.18
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	96/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	96/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	2/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	99	0.07
			योग	2.56

चाम्पा, दिनांक 7 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक/228 A/प्र.-2/अ.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 603/A दिनांक 22-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मे. के. एस. के. महानदी पावर कं. परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3841	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3842/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3840	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3839	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3843	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3798/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3838	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3837	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3836	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3808	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3810/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3811/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3812/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3812/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3815/1	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3816		0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3817		0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3818		0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3819		0.03
				योग	**1.23**

चाम्पा, दिनांक 7 मार्च 2011

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखें)

क्रमांक/229 A/प्र.-2/अ.अ./2011.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 605/A दिनांक 22-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	536	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	537	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	530	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	529	0.13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	528	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	287/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	289/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	289/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	288	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	284	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	283	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	282	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/6	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	263	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	264	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	261	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	316/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	254	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	260	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	252/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	317	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	251	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	250	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	340	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	343	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	344/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	345	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	346/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	346/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	346/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	346/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	347	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	78	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	70	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	71	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	64/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	64/4	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	66/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	66/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	28	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	32/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	32/2	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	15/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	15/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	15/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	14	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/5	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	12/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	12/2	0.03
			योग	**3.18**

सी. डी. वर्मा,
सक्षम अधिकारी.

न्यायालय, सक्षम अधिकारी सह. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तहं. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	689/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	688	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	692	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	687	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	693	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	694	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	686	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	685	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	695	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	503	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	502	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	500	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	506/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	506/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	480	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	479	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	426	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	427, 466	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	468	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	467	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	459	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	460	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	462	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	461	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	453	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	454	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	452	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	450/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	450/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	451/1, 451/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	139/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	88/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	140/1, 140/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	86	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	83	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	52, 80, 81, 82, 84	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	43	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	54/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	42/2	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	42/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	41/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	41/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	29	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	19/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	30	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	18/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	15/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	15/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	16	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	469	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	464	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	14	0.01
			योग	**2.41**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा रो गारिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1396/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1385/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1396/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1385/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1385/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1398	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1378/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1378/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1379	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1380/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1450	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1451	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1452	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1454/1	0.002
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1454/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1459	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1458	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1455	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1460	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1470/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1470/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/4	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/6	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1477	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1476	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/7	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/8	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1206	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1207/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1205/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1208/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1208/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1148	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1149	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1118/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1118/2, 1118/3	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1106/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1106/2	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1106/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1108	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1107	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1091	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1089	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1087	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1088	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1076	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1078	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1079	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1077/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1080/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1077/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	987	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	429	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	431	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	433/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	433/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	391	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	341	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	342	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	330	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	329	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	304	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	453	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	454	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	463/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	463/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	471	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	481	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	472	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	480	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	479	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	478	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	475/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	477	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	476/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	476/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	157/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	157/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	201	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	160	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	161/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	161/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	164	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	165	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	168	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	169/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	169/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	152	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	154/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	172	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	146	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	147	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	144/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	144/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1397	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1377	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1077/2	0.08
			योग	**5.91**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1000	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	999	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1002/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1002/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	997/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1003/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1003/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1004/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1022/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1022/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1023/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1023/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/5	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/7	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/8	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1025	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	937	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	935/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	935/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	879/2	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	882/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	881/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	881/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	882/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	885/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	885/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	885/5	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/9	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	886	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/8	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/9	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/10	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/11	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/12	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/38	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/39	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/40	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	665/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	665/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	664/1	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	664/5	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	624/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/5	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/6	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/8	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/11	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/13	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/7	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/9	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	980/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	938/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	938/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1025/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	936/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	936/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/4	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/7	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	666/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	666/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/1	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	628	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	533/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	533/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	532/1	0.33
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	532/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	528	0.16
			योग	**6.49**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) की अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	692/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	692/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2790	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	689/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	691	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	685	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	689/2	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	690	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	689/1 क	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	680/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2822/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2823	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2824	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2820	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2812/1 क	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	500	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	499/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	501	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	503	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	504	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	505	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	506	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	492	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	495/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	480/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	480/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	481	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	483	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	484	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	460	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	536/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	536/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	452	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	453/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	454/3	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	453/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	482	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	423/1 ग	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	423/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	421/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	421/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	412	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	413	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	403/1	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	400	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	401, 402/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	388	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	389/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	389/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	358	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	359	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	341	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	342	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	344/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	333/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	333/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	334/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	336/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	326/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	326/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1430/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1430/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1431/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1431/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1442/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1467/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/1 क	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/1 ख	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1444/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1445/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1442/2 ख	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1441	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1440	1.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	455/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2828/1 क	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2828/1 ख	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2829	0.21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2812/2 क, 2812/2 ख	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2786	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2787/1 क	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2787/1 ख	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2787/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2787/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2777	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2788/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2788/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2796/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	681/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	679/1 क	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	679/1 ख	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	461	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	455/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	455/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	456/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	456/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	390	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	345	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	343	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	333/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	335	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/3 क	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/3 ख	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/3 ग	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/1 क	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/1 ख	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/1 ग	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/1 घ	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1435	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1437	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1439/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1471	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/1 क	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/1 ख, 1466/1 ग	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1465	0.01
			योग	**9.35**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/12	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/9	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/10	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	352/12	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	351/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	352/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	352/14	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/9	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/7	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/1	0.56
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/3	0.42
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/4	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	341	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	340/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/13	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/1	0.29
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/8	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	211/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	211/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	211/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	209/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	207/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	188/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	187/1	0.42
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	187/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	163/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	163/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	138	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	139	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	137/2	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	137/3	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	351/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	351/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	343/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	212	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	210/1, 210/2, 210/3, 210/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	209	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	205	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	160/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	160/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	140/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	140/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	136	0.01
			योग	**4.84**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	605	0.33
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	603	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	604	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	614	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	615/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	616/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	622	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	621	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2850/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	370	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	371	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	374/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	374/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	374/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	392/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	390/1	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	390/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	384	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	385/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	348	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	383	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	349	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	350/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	350/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	350/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	338	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	351	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	282/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	282/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	283/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	284	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	285/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	256	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	291	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/2	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1326	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1327	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1488/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1486	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1489/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1489/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1489/3, 1489/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1490	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1492	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1497	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1498	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1589	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1590	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1600	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1600/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1604/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1604/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1604/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1605	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1621	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1620/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1620/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1624/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1624/1	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1627/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1627/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1626/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1626/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1630	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1458	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1460	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1462	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1226/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1228	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1216	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1214	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1212/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1215	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1213	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1230/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1230/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1502	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1491	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1504	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1503/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1503/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1505	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1575/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1575/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1575/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1513	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1516	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1574	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1553/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1553/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1552	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1551	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1550	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1556	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1549	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1758	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1759	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1760	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1768	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1769	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1770	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1773/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1773/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1777/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1777/2	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1798	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1793	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1794	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1795	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2731	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2730	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2729	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2769	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2768	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2771	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2774/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2775	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2776	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2785/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2787/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2787/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2787/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2798	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2801	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2811/1, 2811/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2811/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2811/4	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2810/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2810/6	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2839	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2841	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2830	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2844/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2844/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2845	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2846/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1514	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1515	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1506	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2860	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	352	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	339/1	0.01
			योग	9.44

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसंन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	125/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	125/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	119	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	118	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	117/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	117/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	116/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	112/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	111/1	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	111/3	0.29
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	109/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	109/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	109/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	107	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	106/3	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	106/2	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	105	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	103/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	103/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	101	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	100/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	99/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	99/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	98/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	98/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	87/1	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	87/2	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	77/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	77/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	72/6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	73/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	73/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	71/1	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	71/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	64/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	62/11, 62/12, 62/13, 62/14	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	51/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	51/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	49/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	48	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	38/1	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	39/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	38/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	36/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	36/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	34/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	34/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	34/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	35/8, 32/5	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	32/6	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	104/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	104/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	100/4	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	100/5	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	100/6	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/2	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/8	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/9	0.01
			योग	**5.90**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा.3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	738	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/1	0.64

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	771/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	772/1	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	772/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	772/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	773/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	773/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	773/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	775	0.29
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	780/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	727/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	727/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	727/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	723/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	723/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	720	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	719/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	719/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	716/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	716/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	716/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	714/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	841/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/16	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/12	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/17	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	848/2	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	848/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	848/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/3	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/5	0.24
			योग	4.77

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अंर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2244	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2243	0.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2248/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2249/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2240/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2240/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2241	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2242	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2234	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2235/1	0.56
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2235/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2236	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2237/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2237/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2200	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2199/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2199/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2195/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2193/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2194	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2206/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2207/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2210	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2211	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2214	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2215	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2216	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2174	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1826	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1828	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1839/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1839/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1840/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1840/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1841/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1795/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1798	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1796/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1797/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1792/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1793	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1794	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1787	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1865/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1865/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1866/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1867	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1868	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1870	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1882/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1883	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1884	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1879/1, 1879/2	0.32
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1880/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1881/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1878/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1878/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1891/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1891/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1891/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1679/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1679/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1679/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1682/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1683/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1684/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1684/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1684/4	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1687/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1688/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2220/1, 2220/3, 2220/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1823/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1792/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1786	0.03
			योग	**5.15**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	120/2	0.27
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	102/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	102/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	101/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	101/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	98	0.07
			योग	**0.60**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1297	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1256/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1256/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1254	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1155/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1155/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1153	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1151/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1152	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1151/1	0.35
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1157/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1157/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1157/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1161/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1162	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1163/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1163/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1151/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1167/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1167/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1146	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1145/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1145/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1144	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1137/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1137/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1137/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1137/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1138/5	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1138/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1138/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1138/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	221/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	222/1, 222/2	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	225	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	223	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	224/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	226/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	226/2	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	209/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	209/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	209/4	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	209/6	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	188/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	194	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	193	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	180/8	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	180/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	179	0.52
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	177	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	166/5	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/6	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	168/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	168/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	360/1	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	359	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	358/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	358/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/8	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1135/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1136/1, 1136/2, 1136/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	210	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	178/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	164	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	165/2	0.06
			योग	**5.48**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक

भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना.प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	257	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	258/1	0.23
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	263/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	263/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	269/1	0.42
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	269/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/12	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/10	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/13	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/115	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/31	0.37
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/84, 301/83	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/26	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/29	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	303/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	303/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/20	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/19	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/46	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	306/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	308	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	309/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	105/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	105/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	103/1, 103/2	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	98/7	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर–चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	98/5	0.14
जांजगीर–चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	97/4	0.01
जांजगीर–चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	97/3	0.18
जांजगीर–चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	97/2	0.08
जांजगीर–चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	97/1	0.03
जांजगीर–चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	92	0.21
जांजगीर–चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	94	0.31
जांजगीर–चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/6	0.14
			योग	**4.70**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप–घ
(नियम–6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर–चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर–चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	28/3	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	28/5	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	29/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	29/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	29/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	30/2	0.02
			योग	**0.26**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ

(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	2/3	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	2/2	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	10/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	11	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	12/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	12/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	13/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	18	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	19/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	17	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	16/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	16/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	37/3, 37/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	37/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	40/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	40/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	42	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	43/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	45	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	44/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	44/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	44/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	43/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	88	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	95	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	92/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	92/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	140/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	141/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	140/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	140/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	139/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	139/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	143/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	143/2, 143/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	151/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	152/2	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	152/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देबरी/20	162/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	163/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/4	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/9	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/8	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/10, 164/11	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	89	0.01
			योग	**3.95**

पामगढ़, दिनांक 22 मार्च 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 271.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004, (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अ.वि.अ. (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 23-11-10 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में के. एस. के. महानदी पावर परियोजना के लिए ग्राम बसन्तपुर तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम नरियरा तह. अकलतरा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3-12-2010 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि कें उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/7	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/8	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/10	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/11	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/12	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/13	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/3	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/6	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/7	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/8	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/9	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/10	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/11	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/12	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/13	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/14	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/15	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	276	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	275/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	275/2, 275/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	275/4, 275/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	275/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	136	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/3, 135/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/7, 135/8, 135/9, 135/10, 135/11	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/12	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/13	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	134/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	134/2	0.01
			योग	**1.32**

बी. सी. एक्का,
सक्षम अधिकारी.